रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L. —33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]	दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2013/भाद्र 12, 1935	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 114
No. 139]	DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2013/BHADRA 12, 1935	[N.C.T.D. No. 114

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व–1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 सितम्बर, 2013

सं0एफ 3(14)/वित्त (राजस्व–।)/2012–13/डीएसवीआई/676.—दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 अधिनियम के साथ पठित दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप–राज्यपाल, मूल्य सवंर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थातः–

क्रम सं0	अधिकारी का नाम श्री / श्रीमती / कु0	कार्यभार की तिथि	पदनाम
1	किसलय कुमार सिंह	15.03.13	सहायक मूल्य संम्वर्धित कर अधिकारी
2	रविन्दर कौर भाटिया	01.05.13	सहायक मूल्य संम्वर्धित कर अधिकारी
3	मनीष	18.06.13	सहायक मूल्य संम्वर्धित कर अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल
के नाम तथा उनके आदेश पर
रविन्द्र कुमार, उपसचिव-VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd September, 2013

No. F. 3(14)/Fin(Rev-I)/2012-13/dsvi/676.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely:-

S.No.	Name of the Officer Sh./Smt./Ms.	Date of physical joining in DT&T	Appointed as
01.	Kisalay Kumar Singh	15.03.2013	Assistant Value Added Tax Officer
02.	Ravinder Kaur Bhatia	01.05.2013	Assistant Value Added Tax Officer
03.	Manish	18.06.2013	Assistant Value Added Tax Officer

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-VI (Finance)

गृह विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 सितम्बर, 2013

एफ. सं. 2(584)/2011/डीओपी/प्रशा./1532 से 1543.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 11011/2/74–यूटीएल (1) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल प्रत्येक जिले में तैनात मुख्य अभियोजक को तत्काल लोक अभियोजक के रूप में पदनामित करते हैं।

यह दिनांक 27 जुलाई, 2009 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं0 11/34/94/डीओपी/गृह पु0–1/4603–4615 का अधिक्रमण करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
जी. पी. सिंह, अतिरिक्त सचिव (गृह)

DEPARTMENT OF HOME

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd September, 2013

No. F. 2(584)/2011/DOP/ADMN./1532 to 1543.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. 11011/2/74-UTL (1), dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to designate the Chief Prosecutor posted in each district as Public Prosecutor, with immediate effect.

This will supersede the previous notification No. 11/34/94/DOP/HP-I/4603-4615, dated the 27th July, 2009.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
G. P. SINGH, Addl. Secy. (Home)

योजना विभाग

(संवर्ग नियंत्रण इकाई)

अधिसूचना

दिल्ली, 3 सितम्बर, 2013

सं.फा. 9 (13)/2008/सीसी/योजना/पार्ट–V/6692.–गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.9.1968 की अधिसूचना सं0फा0 24/78/68–डी एच(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल :–

(i) इस सरकार के अधीन विभिन्न कार्यालयों/विभागों में सांख्यिकीय अधिकारी (योजना/सांख्यिकी) के पद पर नियुक्ति के लिये भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची में नियम बनाते है; तथा

(ii) दिनांक 24 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या सं0फा0 9(18)/2006/सीसी/योजना/7486 द्वारा अधिसूचित इस सरकार के अधीन विभिन्न कार्यालयों/विभागों में सांख्यिकीय अधिकारी (योजना/सांख्यिकी) के पद के भर्ती नियमों को निरस्त करते हैं।

अनुलग्नक–1

अनुसूची

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, में पे बैंड–2 में 9300–34,800/–रुपये +ग्रेड पे 4600/–रुपये के वेतनमान में सांख्यिकीय अधिकारी (योजना/सांख्यिकी) के पद के भर्ती नियम

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	ग्रेड पे (रुपये) सहित वेतनमान	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सांख्यिकीय अधिकारी (योजना/सांख्यिकी)	146*	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित,	पे बैंड–2 9300–34,800/–रुपये (ग्रेड पे 4600/–रुपये)	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं $

*(2013) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।

($) कॉलम 6 के अन्तर्गतः

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय)

टीपः आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड़, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पागी सब डिवीज़न व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।

7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	अनिवार्य :– (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/कार्यात्मक अनुसंधान/ अंकगणित सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या अर्थशास्त्र/ अंकगणित/वाणिज्य में स्नातोकोत्तर उपाधि (सांख्यिकी प्रमात्रा पद्धति/तकनीक या लागत एवं सांख्यिकी/मूलभूत सांख्यिकी/व्यवसाय सांख्यिकी/सांख्यिकी की प्रस्तावना इत्यादि स्नातोकोत्तर/स्नातक स्तर में एक विषय/पेपर सहित के रूप में हो) । (ii) सांख्यिकी डाटा के संकलन, संग्रहण एवं व्याख्या संबंधी सांख्यिकी कार्य या प्लान योजनाओं के निर्माण निगरानी तथा मूल्यांकन के कार्य संबंधी योजना कार्यों का एक वर्ष का अनुभव। टीप–1 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। टीप–2 यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	सीधी भर्ती के लिये दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है	:	पदोन्नतिः– पे बैंड–2 में 4200/–रुपये ग्रेड पे सहित 9300–34,800 रू0 के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले सांख्यिकीय सहायक।

			नोट 1 :– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। नोट 2:– पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणन के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत अधिकारी:– क. (i) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में पे बैंड–2 में 4200/–रुपये ग्रेड पे सहित 9300–34,800 रू0 के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित; (ख) कालम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले। नोट 1: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।) नोट 2: पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणन के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडेशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।

3801 DG/13-2

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	पदोन्नति के लिये ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति तथा ग्रुप 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति 1. वित्तीय आयुक्त, अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव (योजना)/सचिव योजना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सदस्य 3. निदेशक (पर्यावरण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सदस्य 4. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	सीधी भर्ती तथा प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
डॉ0 बी0 के0 शर्मा, निदेशक (योजना)

PLANNING DEPARTMENT

(Cadre Controlling Unit)

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd September, 2013

No. F.9(13)/2008/CC/Plg/Pt-V/6692.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F. 24/78/68-DH (S), dated 24-9-1968, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to:—

i) make the rules in the schedule annexed hereto regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Statistical Officers (Planning/Statistics) in various offices/departments under this Government; and

ii) cancel the Recruitment Rules for the post of Statistical Officer(Planning/Statistics) in various offices/departments under this Government notified *vide* notification No. F.9(18)/2006-CC/Plg./7486, dated 24th July,2008.

ANNEXURE-I

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Statistical Officer (Planning/Statistics) in the Scale of pay of Rs. 9300-34800 + Grade Pay of Rs. 4600 in Pay Band-2 in the Government of NCT of Delhi.

Name of the Post	No. of Post	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection or Non-Selection Post	Age Limit for Direct Recruits
1	2	3	4	5	6
Statistical Officer (Planning/Statistics)	146@	GCS Group 'B' Gazetted	PB-2 Rs.9300-34800 (Grade Pay Rs. 4600/-)	Selection	Not Exceeding 30 Years $

@ (2013) subject to variation dependent on Workload

($) Under Column 6:

(Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of J&K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshdweep).

Educational & other qualifications required for Direct Recruits	Whether age & EQ prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/Absorption and % of the posts to be filled by various methods.
7	8	9	10
Essential: (I) Post Graduate Degree in Statistics/ Operational Research/ Mathematical Statistics/ Applied Statistics or Post Graduate Degree in Economics/ Mathematics/Commerce (with Statistics/ Quantitative Method/Techniques or Costing & Statistics/Basic Statistics/Business Statistics/Introduction to Statistics etc. as one of subject/papers in Post Graduation/Graduation level) of a recognized University. (II) One year's experience of Statistical work involving collection, compilation and interpretation of statistical data or Planning Work involving formulation, monitoring and evaluation of Plan Schemes. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No	2 Years for Direct Recruits	75% by promotion failing which by Deputation . 25% by Direct Recruitment.

3801 DG/13-3

In case of Recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion : Statistical Assistant in the Pay Scale of Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4200 in Pay Band-2 with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. **Note:1** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note:2** For the purpose of computing minimum qualifying service for Promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the Revised Pay Structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation** Officers under the Central/State Govts./Union Territories A(I) Holding analogous post on regular basis in the Parent Cadre/ Department; or (II) With 05 years' service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Scale of Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4200 in Pay Band-2 or equivalent in the Parent Cadre/Department and (B) Possessing the Educational Qualifications and Experience prescribed for Direct Recruits under Col. 7. **Note: 1**-The Departmental officers in the feeder category who are in the Direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion. (Period of Deputation including period of Deputation in another Ex-Cadre Post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by Deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).	**Group 'B' DPC for Promotion and Gr-B Departmental Confirmation Committee** 1. Financial Commissioner - Chairman 2. Pr.Secretary (Plg)/ Secretary (Plg), Govt. of N.C.T. of Delhi - Member 3. Director (Environment), Govt. of NCT of Delhi – - Member 4. Head of the Department concerned unless he is ex-officio Secretary in Govt. of NCT of Delhi - Member	Consultation with UPSC necessary while making Direct Recruitment and appointing an officer on Deputation.

Note: 2- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (the date from which the Revised Pay Structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised Scale of Pay into one Grade with a common Grade Pay/Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal replacement Grade without any upgradation.		

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
Dr. B. K. SHARMA, Director (Plg.)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.